



## संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सीआरपीएफ जवान श्री कवीर उड़िके के शहीद होने पर खेद व्यक्त किया

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छिंदवाड़ा जिले के सीआरपीएफ जवान श्री कवीर उड़िके के जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद होने पर खेद व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल से शहीद जवान की पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और परिजनों को यह गहन दुख सुनने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा जाले के ग्राम पुलुपुलडोह नाम का विछुआ के कवीर उड़िके जम्मू कश्मीर में तैनात थे। मालिलाल की गती उड़िके के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया परते हुए बचाया नहीं जा सका।

## पोलियो दिवस 23 जून को नौनिहालों को दो बूंद जटिली की अवश्य पिलायें

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश वर्ष 2008 से आज तक पोलियो मुक्त रहा है। उन्होंने सभी नागरिकों, अधिभावकों द्वारा पोलियो से इस लाईंग में प्राप्त सहयोग के लिए अभाव व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत पोलियो मुक्त है। लेकिन पोलियो अभी भी पड़ोसी देशों में है और फिर लौट सकता है। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के समस्त नागरिकों, अधिभावकों से अपील की है कि अपने नौनिहालों की सुरक्षा में कोई चूक न होने दें, पोलियो दिवस 23 जून को दो बूंद जटिली की अवश्य दिलायें। उल्लेखनीय है कि विवरों को डबल सुक्ष्म देने की दृष्टि से रविवार 23 जून 2024 को, प्रदेश के समस्त जिलों में, 0 से 5 वर्ष के बच्चों का, दो बूंद जिन्दगी की, देने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं।

## उप मुख्यमंत्री ने रीवा विधि के पूर्व उप कृतपति के निधन पर शोक व्यक्त किया

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने विध्यक्ष के प्रभावतार कार्य, प्राणालाक क पत्रिका के संस्थान कार्यकारी संघीय जिले के भवन सम्पर्क के बाह्यभूत समाझोर के संरक्षक एवं विधायक पूर्व उप कृतपति श्री रामदेवशन मिश्र राही के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह साहित्य एवं शिक्षा जगत के लिए अप्रणीत क्षति है। श्री शुक्ल ने राही को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है।

## कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों के मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन प्रणाली लागू

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। उच्च शिक्षा विभाग ने शासकीय महाविद्यालयों एवं संचालनालय में पदस्थ शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों के मूल्यांकन एवं गोपनीय प्रतिवेदनों से संबंधित अधिकारियों के नियांकरण के लिए अन्तर्वार्ता लागू की है, जो वर्षांत 31 मार्च 2024 से लागू मानी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत राजपत्रित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी संवर्ग के अधिकारियों के लिए नियांकरण के लिए अन्तर्वार्ता लागू की गयी है। अन्य शिक्षा विभाग के संचालक संचालक, संचालक, संचालक, स्थानीय अतिरिक्त संचालक, संचालक, स्थानीय अतिरिक्त प्राचार्य और प्राचार्य के लिए समीक्षक प्राधिकारी आयुक्त उच्च शिक्षा और स्थीरकृतप्राधिकारी प्रमुख सचिव/सचिव उच्च शिक्षा होंगे। प्राचार्यपक, सहायक प्राचार्यपक (प्रवर श्रेणी), सहायक प्राचार्यपक (वरिष्ठ एवं कनिष्ठ श्रेणी), ग्रंथालय, क्रीड़ाधिकारी एवं गविस्ट्रार के लिए समीक्षक प्राधिकारी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक और स्थीरकृतप्राधिकारी आयुक्त उच्च शिक्षा होंगे।

## अभी तक 48 लाख 39 हजार मीट्रिक टन से अधिक हुई गेहूँ खरीदी

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि प्रदेश के सभी जिलों में बनाये गये विभिन्न उपार्जन केन्द्रों में अभी तक 48 लाख 39 हजार 202 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी हो चुकी है। गेहूँ की खरीदी 6 लाख 16 हजार 254 किलोग्राम से की गयी है। किसानों की 11 लाख 427 करोड़ 57 लाख रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। वर्तमान में गेहूँ उपज द्वारा सर पर स्थापित 311 गेहूँ उपार्जन केन्द्रों में गेहूँ की खरीदी 25 जून 2024 तक की जायेगी।

## योग दिवस की तैयारियों पर कलेक्ट्रेट समागार में बैठक आयोजित

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। 21 जून को आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के संबंध में मालिलाल को कलेक्ट्रेट समागार में आयुष श्रीमती सोनाली वायंगनकर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

## आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन पैकेज में अब 1 हजार 952 प्रक्रियाएँ शामिल

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। आयुष्मान भारत नियामय योजना को सरकार द्वारा समय-समय पर उत्तर उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिय से अद्यान किया जाता रहा है। इसी क्रम में हमारे राज्य में हेल्प बेनिफिट पैकेज-2022 में नवीन उच्च स्तरीय प्रक्रियाओं और दवाओं को शामिल किया गया है। नए पैकेज के लागू होने से न केवल लाभाधीयों को अधिक सुनिध और प्रभावी चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी, बल्कि चिकित्सालयों की क्षमता और गुणवत्ता में भी सुधार होगा, जिससे स्पृष्टि प्रक्रियाओं को लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री की विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं और जटिल बीमारियों के

## मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)।

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने नियमांकित समीक्षा की अवधि प्रदान करने की प्रार्थना की। उप मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा अनुमोदित 46 हजार 491 विभागीय पदों और 607 विषयालय के नियमांकित समीक्षा की अवधि प्रदान करने के लिए समस्त औपचारिकताएँ पूरी पूर्ति के दृष्टिकोण से पूर्ण करने के लिए नियंत्रण दिये। हमीदिया के लिए शिफिटिंग में हो रहे विलंब पर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने नाराजी व्यक्त की है। श्री शुक्ल ने कहा कि कैथ लैब का कार्य शिफिटिंग स्वास्थ्य सेवा प्रदाय से संबंधित है। इस कार्य में लापरवाही, प्राचारकर उदासीनता का अधिकारी व्यक्त है। उन्होंने नियंत्रण दिए कि 1 माह के अंदर कैथ लैब शिफिटिंग की नियंत्रण दिये। उन्होंने कहा कि कैथ लैब शिफिटिंग कार्य की नियमित समीक्षा की जाएगी और



अनावश्यक विलंब पर जिम्मेदारी नियत की जाएगी।

स्वीकृत भवन-विहान 1 हजार 770 स्वास्थ्य अधोसंचानाओं के नियमांकित कार्य की समीक्षा की। इसमें उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आदि के नियमांकित कार्य शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री ने नियंत्रण दिये कि अधोसंचाना विकास के साथ उपकरण, मैनपॉवर आदि की उपलब्धता भी समय-सीमा में की जाये इससे शोध स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदाय प्रारंभ हो सके। उप मुख्यमंत्री ने रीवा और शहडोल संभाग में स्वास्थ्य अधोसंचानाओं के उत्तरान और रीवा के पुनर्वनिवारण कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक नियंत्रण दिये।

बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री विवेक पौडवाल, डीन जीएसपी भोपाल डॉ. कविता सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग विरष्ट अधिकारी, पीईआईयू, पुलिस हाउसिंग बोर्ड, एमपीबीडीसी, हाउसिंग बोर्ड के विरष्ट अधिकारी नियंत्रण दिये।

# मंत्रिपरिषद से स्वीकृत पदों पर शीघ्र भर्ती के लिए औपचारिकताएँ पूर्ण करें-उप मुख्यमंत्री शुक्ल

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)।

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने नियमांकित समीक्षा की अवधि प्रदान करने के लिए शिफिटिंग स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। इस कार्य में लापरवाही, प्राचारकर उदासीनता का अधिकारी व्यक्त है। उन्होंने नियंत्रण दिए कि 1 माह के अंदर कैथ लैब शिफिटिंग की नियंत्रण दिये। उन्होंने कहा कि कैथ लैब शिफिटिंग कार्य की नियमित समीक्षा की जाएगी और

अनावश्यक विलंब पर जिम्मेदारी नियत की जाएगी।

# हवाई सेवा से जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के 8 शहर, पहली प्लाईट 13 जून से



रहे हैं। यह पर्यटन क्षेत्र के साथ-साथ उड़ान व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संस्कृति और कला के प्रचार-प्रसार के लिए भी उपयोग किया जाएगा। इन शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उत्तरांध्र, ग्वालियर, सिंगलरी एवं खंडवाली शामिल हैं। 6 सीटर वाले दो एयरक्राफ्ट इन शहरों के बीच उड़ान भरेंगे। पहली प्लाईट भोपाल-जबलपुर-रीवा-सिंगलरी की होगी। मालूम हो कि गत 14 मार्च को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के स्टेट हैंगर से एयरपोर्ट पर बैठक की होगी। एयरपोर्ट पर बैठक के लिए ऑनलाइन स्ट्रीट एवं एयरपोर्ट पर बैठक की गयी है। एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट पर बैठक के लिए ऑनलाइन स्ट्रीट एवं संस्कृति और प्रबलं एवं सचालक दूरी एवं लाप्लाई के लिए एयरपोर्ट पर बैठक के लिए ऑनलाइन स्ट्रीट एवं संस्कृति और प्रबलं एवं सचालक दूरी एवं लाप्लाई के लिए एयरपोर्ट पर बैठक के लिए ऑनलाइन स्ट्रीट एवं संस्कृति और प्रबलं एवं सचालक दूरी एवं लाप्ल



# विचार

## सामाजिक कलंक है बालश्रम?

वैश्विक समस्या है बाल श्रम? किसी भी मुल्क के माथे पर सामाजिक कलंक भी है, फिर चाहें वह देश विकसित हो या विकासशील? आज से 19 वर्ष पहले यानी सन-2002 को इस बुराई के विरुद्ध प्रतिवर्ष 12 जून के दिन 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' की पहल पर 'विश्व बालश्रम निषेध दिवस' मनाने का आरंभ हुआ। इस दिवस का मकसद चाइल्ड लेबर के सभी रूपों को रोकने के लिए जनमानस को जागरूकता करना था। जागरूकता को ध्यान में रखकर ही 2024 की थीम 'अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें' बाल श्रम समाप्त करें, निर्धारित की गई है। अंकड़ों की माने तो बालश्रम ऐश्या और प्रशांत क्षेत्र में तूसूरे स्थान पर काबिज है। यहां कुल 7 फीसदी बच्चे विभिन्न किस्म की मजदूरी में संलिप है। यही कारण है कि 62 मिलियन बच्चों की बड़ी आबादी आज भी शिक्षा से महसूल है। रोकथाम के लिहाज से प्रयासों में कमी नहीं है, प्रयास बहुते हैं कि जाते हैं कि बच्चों को बाल श्रम की धृथकता भड़ियों से आजाद करवाया जाए। लेकिन परिवारों के मध्य संघर्ष, संकट और आर्थिक मजबूरियों उड़े बाल श्रम करने को विवश करती हैं। बाल श्रम रोकने में सरकारी व सामाजिक दोनों के प्रयास नाकाम न रहे, सभी को ईमानदारी से इस दायित्व में आहूति देनी चाहिए। कानूनों की कमी नहीं है, कई कानून सक्रिय हैं। बाल श्रम अधिनियम-1986 के तहत ढांचों, घरों, होटलों में बाल श्रम करवाना दंडनीय अपराध है। बावजूद इसके लोग बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं। बच्चों को वह अपने प्रतिष्ठितों में इसलिए काम दे देते हैं क्योंकि उड़े कम मजदूरी देनी पड़ती है। लेकिन वह यह भूल बैठते हैं कि वह कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। बाल मजदूरी रोकने के लिए 1979 में बनी गुरुपाद स्वामी समिति ने बेहतरीन काम किया था। उसके बाद अलग मंत्रालय, आयोग, संस्थान और समितियां बनीं, लेकिन बात फिर वहीं आकर रुक जाती है कि जब तक आमजन की सहभागिता नहीं होगी, सरकारी प्रयास भी नाकाफी साकित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विगत कई दशकों से बाल श्रम को समाप्त करने में ईमानदारी से प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहा है। बावजूद इसके संपूर्ण विश्व में आज भी करीब 160 मिलियन बच्चे बाल श्रम की भड़ी में तप रहे हैं। दुनिया भर में करीब दस में से एक बच्चा आज भी किसी न किसी रूप में मजदूरी करने को मजबूर है। बाल श्रम से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतराश प्रयास हो रहे हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा लगातार कार्यान्वयित शिक्षा, कला और मीडिया के माध्यम से बच्चों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लेकिन फिर भी बाल श्रम की समस्या थमने के बजाय और बढ़ रही है। हिंदी फ़िल्म 'बूट पालिश' का एक गाना है कि 'नहीं मुझे बच्चे तेरी मुट्ठी में बच्चा है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी' के बोल न सिर्फ बालश्रम की भड़ियों में धृथकते बचपन के प्रति संवेदना जगाते हैं, बल्कि हुक्मसंतों के लिए बाल श्रम सभी को मिलकर खोजने होंगे? सड़कों पर भीख मांगते बच्चे, ईंट भट्टों पर काम करते नौनिहाल, विभिन्न अपराधों में लिस बच्चे व शिक्षा से महसूल बच्चों को देखकर मुह मोड़ने के बजाय है, हुक्मसंतों को चेताना होगा। बच्चों से मुह फेरना ही हमारा सबसे बड़ा अपराध है। हमारी चुप्पी ही बालश्रम की जैसे कृत्य को बढ़ावा देती है। ऐसे बच्चों के बचपन की तुलना थोड़ी देर के लिए हम अपने बच्चों से करें, तो फर्क अपने आप महसूस कर सकेंगे। ऐसा करने से अपने भीतर बदनासी बच्चों के प्रति संवेदना जगेगी और उनसे जुड़े जुल्मों के खिलाफ अवाज जाने का संबल पिलेगा। आंखों के सामने किसी बच्चे का बचपन खो जाना, हापने लिए सबसे बड़ी शर्म वाली बात है। इस सामाजिक बुराई से समाज को बाकिफ हो जाना चाहिए कि बाल श्रम रोकना केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, प्रत्येक इंसान का मानवीय दायित्व भी है। ये सच है कि समस्या किसी एक के बूते सुलझने वाली नहीं है। इसके लिए सामाजिक चेतना, जनजागरण और जागरूकता की जरूरत है।

# संसद में दागी नेताओं की संख्या बढ़ना चिन्ताजनक

ललित गर्ग

**देश में 18वीं लोकसभा** चुनी जा चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और रिकॉर्ड संख्या में मतदाता होने के गर्व करने वाली स्थितियां भी हैं। खबर आई है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचने वाले 543 सांसदों में 46 फीसदी आपराधिक रिकॉर्ड स्थित हैं जो पिछली बार से तीन प्रतिशत अधिक है। भारतीय राजनीति में आपराधिक छति वाले या किसी अपराध के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाए जाने एवं उन्हें राष्ट्र-निर्माण की जिम्मेदारी दिया जाना-हट नागरिक के माथे पर चिंता की लाकर लाने वाली है। क्या इस स्थिति में देश की लोकतांत्रिक शुचिता एवं पवित्रता की रक्षा हो पाएगी? क्या हम आदर्श एवं मूल्यपरक समाज बना पाएंगे? क्या ये दागदार नेता एवं जन-प्रतिनिधि कालांतर हमारी व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे?



चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मसलों का विश्लेषण करने वाली संसेक संस्था एसोसिएशन ऑफ डेंसोट्रिक रिपोर्टर्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2019 में चुने गये सांसदों में जहां 233 यानी 43 फीसदी ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकृत की थी, वहां अंग्रेजी लोकसभा के लिये चुने गए 251 सांसदों ने आपराधिक मामले दर्ज होने की बात मानी है। जो कुल संख्या का 46 फीसदी बैठती है। आज भारत की आजादी के अंगूष्ठकाल का एक बड़ा प्रश्न है कि जब तक आमजन की सहभागिता नहीं होगी, सरकारी प्रयास भी नाकाफी साकित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विगत कई दशकों से बाल श्रम को समाप्त कर रहा है। बावजूद इसके संपूर्ण विश्व में आज भी करीब 160 मिलियन बच्चे बाल श्रम की भड़ी में तप रहे हैं। दुनिया भर में करीब दस में से एक बच्चा आज भी किसी न किसी रूप में मजदूरी करने को मजबूर है। बाल श्रम से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतराश प्रयास हो रहे हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा लगातार कार्यान्वयित शिक्षा, कला और मीडिया के माध्यम से बच्चों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लेकिन फिर भी बाल श्रम की समस्या थमने के बजाय और बढ़ रही है। हिंदी फ़िल्म 'बूट पालिश' का एक गाना है कि 'नहीं मुझे बच्चे तेरी मुट्ठी में बच्चा है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी' के बोल न सिर्फ बालश्रम की भड़ियों में धृथकते बचपन के प्रति संवेदना जगाते हैं, बल्कि हुक्मसंतों के लिए बाल श्रम सभी को मिलकर खोजने होंगे? साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा लगातार कार्यान्वयित शिक्षा, कला और मीडिया के माध्यम से बच्चों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लेकिन फिर भी बाल श्रम की समस्या थमने के बजाय और बढ़ रही है। हिंदी फ़िल्म 'बूट पालिश' का एक गाना है कि 'नहीं मुझे बच्चे तेरी मुट्ठी में बच्चा है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी' के बोल न सिर्फ बालश्रम की भड़ियों में धृथकते बचपन के प्रति संवेदना जगाते हैं, बल्कि हुक्मसंतों के लिए बाल श्रम सभी को मिलकर खोजने होंगे? साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा लगातार कार्यान्वयित शिक्षा, कला और मीडिया के माध्यम से बच्चों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लेकिन फिर भी बाल श्रम की समस्या थमने के बजाय और बढ़ रही है। हिंदी फ़िल्म 'बूट पालिश' का एक गाना है कि 'नहीं मुझे बच्चे तेरी मुट्ठी में बच्चा है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी' के बोल न सिर्फ बालश्रम की भड़ियों में धृथकते बचपन के प्रति संवेदना जगाते हैं, बल्कि हुक्मसंतों के लिए बाल श्रम सभी को मिलकर खोजने होंगे? साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा लगातार कार्यान्वयित शिक्षा, कला और मीडिया के माध्यम से बच्चों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लेकिन फिर भी बाल श्रम की समस्या थमने के बजाय और बढ़ रही है। हिंदी फ़िल्म 'बूट पालिश' का एक गाना है कि 'नहीं मुझे बच्चे तेरी मुट्ठी में बच्चा है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी' के बोल न सिर्फ बालश्रम की भड़ियों में धृथकते बचपन के प्रति संवेदना जगाते हैं, बल्कि हुक्मसंतों के लिए बाल श्रम सभी को मिलकर खोजने होंगे? साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा लगातार कार्यान्वयित शिक्षा, कला और मीडिया के माध्यम से बच्चों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लेकिन फिर भी बाल श्रम की समस्या थमने के बजाय और बढ़ रही है। हिंदी फ़िल्म 'बूट पालिश' का एक गाना है कि 'नहीं मुझे बच्चे तेरी मुट्ठी में बच्चा है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी' के बोल न सिर्फ बालश्रम की भड़ियों में धृथकते बचपन के प्रति संवेदना जगाते हैं, बल्कि हुक्मसंतों के लिए बाल श्रम सभी को मिलकर खोजने होंगे? साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा लगातार कार्यान्वयित शिक्षा, कला और मीडिया के माध्यम से बच्चों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लेकिन फिर भी बाल श्रम की समस्या थमने के बजाय और बढ़ रही है। हिंदी फ़िल्म 'बूट पालिश' का एक गाना है कि 'नहीं मुझे बच्चे तेरी मुट्ठी में बच्चा है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी' के बोल न सिर्फ बालश्रम की भड़ियों में धृथकते बचपन के प्रति संवेदना जगाते हैं, बल्कि हुक्मसंतों के लिए बाल श्रम सभी को मिलकर खोजने होंगे? साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा लगातार कार्यान्वयित शिक्षा, कला और मीडिया के माध्यम से बच्चों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लेकिन फिर भी बाल श्रम की समस्या थमने के बजाय और बढ़ रही है। हिंदी फ़िल्म 'बूट पालिश' का एक गाना है कि 'नहीं मुझे बच्चे तेरी मुट्ठी में बच्चा है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी' के बोल न सिर्फ बालश्रम की भड़ियों में धृथकते बचपन के प्रति संवेदना जगाते हैं, बल्कि हुक्मसंतों







